HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 10973/2026
CNR: RJHC020657952026 | URN: CRLMB / 20311U / 2026

Dilkhush @ Dillu S/o Ramkhilari, Aged About 22 Years, R/o Devli, Police Station Bauli, District Sawai Madhopur (Rajasthan). (At Present Accused Petitioner Is Confined In District Jail Tonk).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Arvind Sharma with Ms. Manju Chauhan Mr. Srijan Katara
For Respondent(s)	:	Mr. R.S.Shekhawat, PP Mr. Shyam Bihari Gautam

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह **द्वितीय** प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना बॉली जिला सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 373/2025 अपराध अंतर्गत धारा 109(1), 115(2), 126(2), 117(2), 117(3), 118(2), 190, 191(2), 191(3), 61(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.02.2026 को निरस्त किया गया था, उसके पश्चात् प्रकरण में दिनांक 10.06.2026 को परिवादी देवहंस पी0ड01 तथा दिनांक 02.07.2026 को आहत पुखराज पी0ड02 के रूप में परीक्षित हो चुके हैं। आहत पुखराज ने अपने कथन में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यह कथन किया है कि वह बंदूक से गोली चला रहा था और उसके द्वारा हवाई फायर किया गया, जबकि आग्नेयास्त्र की किसी प्रकार की कोई चोट आहत को कारित नहीं हुई है। उनका तर्क है कि आहत ने

अपने सम्पूर्ण कथन में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे लाठी अथवा सरिए से चोट कारित करने का कथन नहीं किया है। उनका यह भी तर्क है कि साक्षी देवहंस पी0ड01 जो कि परिवादी है एवं आहत पुखराज का पुत्र है, ने सरिए से मारना कहा है और उससे पैर टूटना कहा है। इस प्रकार से सर्वथा विरोधाभासी कथन हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.12.2025 से अभिरक्षा में है, उसे लगभग आठ माह का समय अभिरक्षा में हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि दोनों पक्षकारों के मध्य क्रॉस केस दर्ज हैं। दोनों पक्षकारों के मध्य सिविल वाद लम्बित थे। आयुध अधिनियम का कोई आरोप प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नहीं लगाया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं लोक अभियोजक का तर्क हे कि प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त निरस्त होने के उपरांत प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आहत पुखराज ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथनों में भी प्रार्थी/अभियुक्त का आग्नेयास्त्र दिखाना, गोली चलाना एवं मौके से अन्य बीच–बचाव करने के लिए आने वाले लोगों को दूर रखने का ही कृत्य बताया गया है। उनका तर्क है कि इस घटना में आहत को 12 चोटें आई हैं तथा पैर में आई चोट के कारण उसका पैर काटना भी पड़ा है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध भी उन्हीं आरोपों की विरचना हुई है, जो अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ही घटना का मास्टर माइण्ड था जो फोन पर सभी को निर्देश दे रहा था। अभी प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण परीक्षित होना शेष हैं। उसके विरूद्ध पूर्व के भी तीन अन्य प्रकरण दर्ज हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आहत देवहंस ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथनों में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करना एवं उसके गम्भीर चोटें कारित होने का कथन किया है। अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के बाद वह न्यायालय में पी0ड02 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसमें भी उसने यही कथन किए हैं कि दिलखुश ने हवाई फायर किए

एवं कहा कि इसको जान से मार दो। परिवादी देवहंस जो पी0ड01 के रूप में परीक्षित हुआ है, ने भी न्यायालय कथनों में दिलखुश का अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मौके पर आना एवं सरिए से उसके पिता पुखराज के बायें पैर पर चोट मारना तथा पैर दूसरी जगह से टूट जाना कथन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त घटना कारित करने वालों में मास्टर माइण्ड होना बताया गया है, जिसके द्वारा ही मौके पर लोगों को रोका तथा मारपीट करने वालों को उसके द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे। इस प्रक्रम पर पत्रावली पर आई साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन किया जाना न तो अपेक्षित है, न ही वांछनीय है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के भी तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है। पूर्व जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के बाद अभियुक्त के पक्ष में कोई सारवान परिवर्तन हुआ हो, ऐसा विचारण न्यायालय में अभी तक लेखबद्ध हुई साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

1/AJAY KUMAR SINGHAL